न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 11/2020 तारीख रजू 07.07.2020

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. रवि गुप्ता पुत्र श्री सतीश कुमार गुप्ता जाति महाजन (विक्रेता व मालिक)–फर्म–जय अम्बे ट्रेडर्स मकान नं0 139, आई.एच.एस. कॉलोनी, बजरिया, सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर निवासी मकान नं0 139, आई.एच.एस. कॉलोनी, बजरिया सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)।
2. नवदीप सोरयान पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, (नोमिनी)–फर्म–सांवरिया स्वीट्स प्राईवेट लिमिटेड, एफ 837&838, रीको इन्डस्ट्रियल एरिया, फेज–III, सीतापुरा जयपुर (राज0)–302022 निवासी मकाना नं0 सी 2/6, टाटा स्टील ऑफिसर्स एनक्लेव, जगत फॉर्म के पास, बीटा–1, ग्रेटर नोयडा, सूरजपुर जिला गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)–201306।
3. फर्म–सांवरिया स्वीट्स प्राईवेट लिमिटेड, एफ 837&838, रीको इन्डस्ट्रियल एरिया, फेज–III, सीतापुरा जयपुर (राज0)–302022–जरिये नोमिनी

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 U/S 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006

निर्णयः– दिनांक .....

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 25.10.2019 को समय लगभग 03.30 पी.एम. पर दौराने गस्त फर्म–जय अम्बे ट्रेडर्स, मकान नं0 139, आई.एच.एस. कॉलोनी, बजरिया, सवाई माधोपुर पर मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुँचा वहाँ पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम रवि गुप्ता पुत्र श्री सतीश कुमार गुप्ता बताया तथा स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। आवेदक ने अभियुक्त को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। अभियुक्त अपनी फर्म पर सोहन पापडी (कान्हा ब्राण्ड), रसगुल्ले एवं अन्य खाद्य सामग्री आम जनता को विक्रय करता है। आवेदक ने अभियुक्त से फर्म का वर्ष 2019–20 का खाद्यपदार्थ लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन एवं स्वंय का पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसने अपनी फर्म का खाद्यपदार्थ रजिस्ट्रेशन संख्या 22216064000061 दिनांक 30.03.2016 व स्वयं का फोटो पहचान पत्र आवेदक को दिखाया तथा उनकी एक–एक स्वप्रमाणित प्रति आवेदक को दी गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:53 IST
Reason: SelfAttested

निरीक्षण के समय फर्म के विक्रय परिसर में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ **Soan Papdi (Kanha Brand) 400 ग्राम पैक** के 10 पैकिट एक कार्टून में रखे हुये थे। खाद्य पदार्थ **Soan Papdi (Kanha Brand) 400 ग्राम पैक** के पैकिटो का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता व फर्म मालिक रवि गुप्ता से खाद्य पदार्थ **Soan Papdi (Kanha Brand) 400 ग्राम पैक** के पैकिटों में से शुद्वता व लेबल की जॉच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म पर एक कार्टून में रखे हुए खाद्य पदार्थ **Soan Papdi (Kanha Brand) 400 ग्राम पैक** के 10 पैकिटों में से 4 पैकिट शुद्धता व लेबल की जॉच हेतु नमूना लेने बाबत खरीदे जिनकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 400/– रूपये अक्षरे चार सौ रूपये नगद देकर खरीद का बिल प्राप्त किया जिस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करने पर आवेदक ने स्वंय हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा खाद्य वस्तु **Soan Papdi (Kanha Brand) 400 ग्राम पैक** के चारो पैकिटों को चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान दिनांक खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वंय के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक पैकिट पर अलग–अलग चिपकाकर पैकिटो को अलग–अलग ब्राउन पेपर से लपेटकर पेपर के सिरो को गोंद से चिपकाकर जारो पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर **H–1728** गोंद से नियमानुसार प्रत्येक शीशी पर चिपकाकर प्रत्येक पैकिट को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह चपडी से सील मोहर करके चारों पैकिटों पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द पैकिटों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर मौजूद विक्रेता व फर्म मालिक रवि गुप्ता से उक्त खाद्य वस्तु के माल खरीद बिल/वारन्टी के बारे में पूछा तो उसने फर्म–सांवरिया स्वीटस प्राईवेट लिमिटेड, एफ 837& 838, रीको इन्डस्ट्रियल एरिया, फेज–III, सीतापुरा जयपुर द्वारा जारी टैक्स इन्वॉइस संख्या U2PVATI2097775 दिनांक 22.10.2019 आवेदक को दिखाया एवं बताया कि उक्त नमूने का माल इसी बिल के जरिये खरीदा है। खरीद बिल की एक स्वप्रमाणित प्रति आवेदक को दी। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की जिस पर उस सील इम्प्रशेन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बंद किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियॉ एक लिफाफे में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द पैकिट व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 30.10.2019 को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर (राजस्थान) के यहॉ जमा करवाये जिनकी रसीद प्राप्त की गयी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के बाकी बचे दो सील बन्द पैकिट (ii व iii पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लेट कर सील मोहर कर तथा नमूने के शेष एक सील बन्द पैकिट (iv पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:53 IST
Reason: SelfAttested

मोहर कर दिनांक 25.10.2019 को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर को स्वयं जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/2674 दिनांक 05.12.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2776/एक्ट/2019/2306 दिनांक 26.11.2019 के अनुसार वास्ते जॉच खाद्य वस्तु **Soan Papdi (Kanha Brand) 400 ग्राम पैक** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded Food U/S 3(1)(zf)(c)(i) of FSSA 2006)** प्रकृति का पाया गया।

आवेदक ने अपने रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 04 दिनांक 03.01.2020 एवं 525 दिनांक 19.03.2020 के द्वारा फर्म–सांवरिया स्वीटस प्राईवेट लिमिटेड, एफ 837&838, रीको इन्डस्ट्रियल एरिया, फेज–III, सीतापुरा जयपुर के मालिक/भागीदारो/निदेशको को फर्म के मालिक/भागीदारो/नोमिनी के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत रजिस्टर्ड पत्र लिखे जिसके जवाब में फर्म–सांवरिया स्वीटस प्राईवेट लिमिटेड, एफ 837&838, रीको इन्डस्ट्रियल एरिया, फेज–III, सीतापुरा जयपुर के प्रतिनिधि ने अपने पत्र दिनांक 29.05.2020 के जरिये फर्म का खाद्य लाईसेन्स, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं नोमिनी के दस्तावेज उपलब्ध कराये।

उक्त प्रकरण में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता ने **मिथ्याछाप (Misbranded Food)** प्रकृति की **Soan Papdi (Kanha Brand) 400 ग्राम पैक** का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा **मिथ्याछाप (Misbranded Food)** प्रकृति की **Soan Papdi (Kanha Brand) 400 ग्राम पैक** का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त सेक्शन 26 व सेक्शन 27 तथा सेक्शन 80डी के अन्दर कवर होने के कारण उत्पाद की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उत्पादनकर्ता की होगी। अभियुक्त द्वारा पैकिंग विक्रय हेतु क्रय किया था। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। अभियुक्त सं0 1 द्वारा उत्पादनकर्ता के एफएसएसआई लाइसेंस देख कर क्रय किया था। इसलिये अभियुक्त सं0 1 की किसी प्रकार से कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है।

अभियुक्त संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा बहस में तर्क दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी इस सैम्पल को लेने के लिए अधिकृत नहीं था। M/s. Nestle India Limited vs FSSAI & Ors; 2015(2)FAC 56 में माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया हुआ है कि यदि कोई जांच एजेन्सी एफएसएसएआई तथा एनएबीसी के स्टेण्डर्ड को पूर्ण नहीं करती है तो ऐसी जांच एजेन्सी की रिपोर्ट साक्ष्य हेतु ग्राहय नहीं होगी। उक्त पत्रावली में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के बयान भी नहीं हुए है

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:53 IST
Reason: SelfAttested

जिससे यह पता किया जा सके कि उक्त प्रोडक्ट में किस तरह से मिथ्याछाप पाया गया। यह परिवाद में भी स्पष्ट अंकन नहीं किया है कि यह प्रोडक्ट क्यों मिथ्याछाप माना जावे। फर्द रिपोर्ट पर भी किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये हैं। इससे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट भी संदेह के दायरे में आती है। अन्त अधिवक्ता अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 ने प्रकरण खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2776/एक्ट/2019/2306 दिनांक 26.11.2019 के अनुसार वास्ते जॉच खाद्य वस्तु **Soan Papdi (Kanha Brand) 400 ग्राम पैक** का नमूना Mis-brandard (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है जो कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर की रिपोर्ट से स्पष्टतः साबित होता है। खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वस्तु सोन पापडी के इनग्रेडिएन्ट्स में चीनी, घी समेत अन्य सामग्री की मात्रा प्रतिशत में दर्शायी गई है किन्तु बादाम, पिस्ता की मात्रा प्रतिशत में नहीं दर्शा रखी है जो कि एफएसएस (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) विनियम, 2011 की धारा 2.2.2.2(f) का उल्लंघन है। जिसके अनुसार " **मिश्रण या संयोजन के रूप में बेचे गए खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर खाद्य के विनिर्माण के समय प्रयुक्त किए गए संघटक (मिश्रित संघटकों या संघटकों के प्रवर्गों सहित) की प्रतिशतता प्रकट की जावेगी।**

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के **खाद्य वस्तु Soan Papdi (Kanha Brand) 400 ग्राम पैक** का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 3 पर संयुक्त रूप से 30,000 रू0 (अक्षरे तीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:53 IST
Reason: SelfAttested